रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1977/माघ 11, 1898
No. 45] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1977/MAGHA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st January 1977

S.O. 55(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 844(E) dated 31-12-1976 the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to any employee or class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 shall transfer the monthly provident fund contributions, in respect of the establishment or, as the case may be, of the employee or class of employees within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month within a period of two weeks from the date of receipt of the said contributions from the employer, the Provident Fund accumulations in respect of the establishment or as the case may be, of the employee, or class of employees that is to say, the contributions, interest and other receipts as reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely :—

(1) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government.	Not less than 25%

(ii)	Government securities as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	Not less than 25%
(iii)	Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or and State Government.	
(iv)	7-year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 30%.
(v)	Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 16(1)-PD/75 dated 30-6-1975	Not exceeding 20%.

2. The above pattern will be in force from the 1st February to 31st March, 1977. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50% in Post Office Time Deposits and 50% in Special Deposits. Subject to this, reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for pormpt investment or re-investment of accumulations in accordance with the aforesaid directions.

[No. G. 27035(5)/76-PFI(i)]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का० आ० 55 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 844 (ई) तारीख 31-12-1976 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन के सबंध में या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के यथास्थिति, पैरा 27 या पैरा 27क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक उस स्थापन या, जैसी भी स्थिति हो कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बन्ध प्रत्येक नियोजक उस स्थापन या, जैसी भी स्थिति हो, कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के सबंध मे, प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक रूप से गठित न्यासी बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी बोर्ड, यथास्थिति उस स्थापन या कर्मचारी या कर्मचारियो के वर्ग के सबंध मे भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायो, ब्याज और अन्य प्राप्तियो को, बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित रीति के अनुसार, हर मास नियोजकों से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(i)	केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित, सरकारी प्रतिभूतियां।	25% से अन्यून

(ii) किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां। (iii) कोई अन्य परिक्राम्य प्रतिभूतियां या बोंड, जिनका मूलधन तथा जिन पर ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत. तथा अन्य बिना शर्त गारण्टी की गई हों।	25% से अन्यून
(iv) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा और तीसरा निर्गम) या डाकघर सावधि निक्षेप।	30% से अनधिक
(v) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ–16(1) पीडी/75, तारीख 30–6–1975 द्वारा आरंभ की गई विशेष निक्षेप योजना।	20% से अनधिक

2. विनिधान की उपर्युक्त रीति पहली फ़रवरी, 1977 से 31 मार्च, 1977 तक प्रवृत्त रहेगी। इस अवधि के दौरान परिपक्व हो जाने वाले डाकघर सावधि निक्षेप के पुनर्विधान का 50% डाकघर सावधि निक्षेप में और 50% विशेष निक्षेप योजना में किया जाएगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, भविष्य निधि संचयनों की अन्य सभी परिपक्व राशियों का पुनर्विधान ऊपर पैरा–I में उल्लिखित रीति के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

3. न्यासी बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा।

[सं०–जी–27035(5)/76–पी० एफ० I(i)]

S.O. 56(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 845(E) dated 31-12-1976 the Central Government hereby directs that all monies belonging to the Fund shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

(i) Government securities as defined in clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government.	Not less than 25%
(ii) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government. (iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	Not less than 25%
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 30%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 16(1)-PD/75 dated the 30th June, 1975.	Not exceeding 20%.

2. The above pattern will be in force from the 1st February, to 31st March, 1977. Reinvestment of Post Office Time Deposits maturing during this period shall be made 50%

in Post Office Time Deposits and 50% in Special Deposits. Subject to this, reinvestment of all other maturities of Provident Fund accumulations shall continue to be made in accordance with the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G-27035/5/76-PF.I(ii)]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

का० आ० 56 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 845(ई) तारीख 31-12-1976 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि निधि की सारी राशियों को निम्नलिखित रीति के अनुसार विनिहित किया जाएगा,

(i)	केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित, ऋण अधिनियम 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित 'सरकारी प्रतिभूतियां।	25% से अन्यून
(ii)	किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट तथा निर्गमित लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां।	25% से अन्यून
(iii)	कोई अन्य परिक्राम्य प्रतिभूतियां या बाण्ड, जिनका मूलधन तथा जिन पर ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: तथा बिना शर्त गारण्टी की गई हों।	
(iv)	7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (दूसरा और तीसरा निर्गम) या डाकघर सावधि निक्षेप।	30% से अनधिक
(v)	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ-16 (1)/पीडी/75, तारीख 30-6-1975 द्वारा आरंभ की गई विशेष निक्षेप योजना।	20% से अनधिक

2. विनिधान की उपर्युक्त रीति पहली फरवरी, 1977 से 31 मार्च, 1977 तक प्रवृत्त रहेगी। इस अवधि के दौरान परिपक्व हो जाने वाले डाकघर सावधि निक्षेप के पुनर्विधान का 50% डाकघर सावधि निक्षेप में और 50% विशेष निक्षेप योजना में किया जाएगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, भविष्य निधि संचयनों की अन्य सभी परिपक्व राशियों का पुनर्विनिधान ऊपर पैरा-I में उल्लिखित रीति के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

[संख्या जी-27035(5)/76-पी०एफ० I(ii)]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977